(x) Except for the plantations, refineries and the power generating units, all other industries, in the public as well as the private sectors, should be eligible for the transport subsidy, irrespective of the size of the industrial units.

(xi) 50 per cent of the transport charges for movement of steel from the Gauhati stockyard to the site of the industrial unit in the north-eastern region should also be subsidised.

(xii) Claims for transport subsidy should be scrutinised and settled by the Directorates of Industries of the States and Union Territories and, there after the Governments concerned should be reimbursed by the Ministry of Industrial Development and Internal Trade.

(xiii) In order to check any misuse of the subsidy, it would be necessary for these Directorates of Industries to carry out periodical checks to ensure that the raw materials and the finished products in respect of which the subsidy had been given, were actually used for the purpose by a system of scrutinising of consumption of the raw materials and the output of the finished products.

(xiv) The proposed scheme of transport subsidy should be implemented for a period of five years.

Protest Strike by the Employees of B. R. Singh Railway Hospital Sealdah (West Bengal)

957. SHRI MANORANJAN HAZRA : Will the Minister of RAILWAYS (RAIL MANTRI) be pleased to state :

(a) whether the employees of B. R. Singh Railway Hospital at Sealdah, West Bengal went on strike on 16th April, 1971 in protest against the attack on the employees by some miscreants ; and

(b) if so, whether any action had been taken to punish the culprits ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (RAIL MANTRI) (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, the Government Railway Police Sealdah, registered a case under different sections of Indian Penal Code and sections 4 and 5 of the Indian explosives Act and arrested two persons ; one of them was subsequently also detained under the Prevention of Violent Activities Act.

Non Availability of Medicines from Railway Hospital, Perambur, Madras

958. SHRI B. N. REDDY : Will the Minister of RAILWAYS (RAIL MANTRI) be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum from the Dakshin Railway Employees Union, Headquarters Office Branch, Madras, about the mal treatment to them and the non-availability of medicines from the railway Hospital Perambur, Madras ;

(b) if so, the main points stated in the memorandum ; and

(c) the action taken by Government to redress the grievances of the workers ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (RAIL MANTRI) (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) No. However a leaflet circulated by this unrecognised Union has been received by the Chief Medical Officer of the Southern Railway.

(b) The main allegations are callousness of doctors, non-availability of medicines, inferior quality of spectacles supplied, non-grant of sick leave etc.

(c) The allegations have been looked into and found to be unsubstantiated. In fact, the quality of service in the Railway Hospital at Perambur and new General Offices Dispensary, Madras has been steadily improving alongwith the growing number of patients admitted there.

हाल ही में हुये लोक सभा के चुनावों के पश्चात मतपत्रों की जांच करने की अनुमति देना

959. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उम्मीदवारों के नाम क्या हैं

जिन्होंने हाल ही में हुए लोक-सभा के चुनावों के पश्चात् मत-पत्रों की जांच करने की अनुमति मांगी थी और निर्वाचन आयोग ने उनमें से किन-किन उम्मीदवारों को अनुमति दी थी और किन-किन को नहीं दी थी ;

(ख) इस प्रकार की अनुमति देने या न देने के लिए क्या कसौटी है ; और

(ग) क्या चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि निर्वाचन आयोग की मतपत्र जांच करने की अनुमति देने की शक्ति समाप्त कर दी जानी चाहिए ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) लोकसभा के हाल ही के निर्वाचनों के पश्चात् निर्वाचन अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए जिन अभ्यार्थियों को अनुमति दी गई या देने से इंकार किया गया उनके नाम अलग-अलग दर्शाने वाले दो विवरण सभा पटल पर रख दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रख दिये गये। देखिए** संख्या एल० टी०---266/71]

(ख) प्रत्येक आवेदन पर उसके अपने गुणागुण के आधार पर विचार किया गया। इसलिए इस विषय में अनुमति देने या देने से इन्कार करने के सम्बन्ध में ऐसे मामलों में निर्वाचन आयोग द्वारा जांच का कोई निश्चित तरीका नहीं अपनाया जा सकता था। फिर भी आयोग ने निरीक्षण के आवेदन उन मामलों में मंजूर कर लिए जिनमें निर्वाचित अभ्यर्थी और उसके बाद अधिकतम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए मतों के बीच अन्तर अधिक नहीं था, जिनमें मतों के बड़े पैमाने पर अनुचित रूप से मंजूर किए जाने या अनुचित रूप से नामंजूर किए जाने के बारे में थे और उनके समर्थन में विश्वसनीय प्रमाण और तथ्य भी मौजूद थे तथा यहां आयोग की राय में ऐसे निरीक्षण से न्याय का पक्ष भी मजबूत हो सकता था और साथ ही मत की गोपनीयता का अतिक्रमण होने की संभावना की नहीं थी। ऐसे निरीक्षण के लिए अनुमति देने से आयोग ने उन मामलों में इन्कार कर दिया जिनमें आयोग को इस बात का विश्वास हो गया कि निरीक्षण की अनुमति दिए जाने की प्रार्थना के समर्थन में लगाए गए आरोप अत्यन्त तुच्छ तथा सारहीन हैं या छान-बीन के लिए जांच कराने का प्रयत्न करने के लिए लगाए गए हैं। इस सम्बन्ध में यह और बता दिया जाए कि प्रत्येक मामले में, निरीक्षण की अनुमति देने या देने से इन्कार करने वाला आदेश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हाल में दो मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रख कर दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

मतदाताओं को निर्वाचन कार्ड देना

960. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग के अनुसार अक्तूबर माह के अन्त तक 12 करोड़ मतदाताओं को तथा शेष 15 करोड़ मतदाताओं को भी शीघ्र ही निर्वाचन कार्ड दिए जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में योजना की रूप रेखा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) चौदह राज्यों और चार संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां चालू वर्ष के दौरान घर-घर जाकर सत्यापन करने के बाद निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण गहन रूप से किया जा रहा है या जल्दी ही किया जाने वाला है, गृह स्वामियों को निर्वाचन कार्ड दिए जायेंगे। आशा की जाती है कि उन व्यक्तियों की संख्या जिनके नाम निर्वाचक कार्डों में और उसके बाद निर्वाचक-नामावलियों में सम्मिलित किए जायेंगे, लगभग 23 करोड़ तक